Affidavit

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 21/03/2025

Certificate No. R0U2025C378

GRN No. 129740039

Stamp Duty Paid : ₹ 101

(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Deponent

175

Name : The Feeds Trust

H.No/Floor : 0

Sector/Ward : 0

Landmark : Rohtak

City/Village : Rohtak

District : Rohtak

State : Haryana

Phone : 97******60

Purpose : Trust deed to be submitted at Any office

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

ट्रस्ट डीड

ट्रस्ट का नाम : दी फीडस् ट्रस्ट
(The Feeds Trust)

ट्रस्ट का पता : 683, सैक्टर 1, रोहतक (हरियाणा)

मै राज पाल राठी सुपुत्र श्री हजारी राम निवासी 683, सैक्टर 1, रोहतक की हूँ । हमारा भारत प्राचीन काल से ही स्वास्थय, कला, ज्ञान-विज्ञान, संस्कृति एवं सेवा की दृष्टि से समृद्धशाली रहा है । प्रचीन काल में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था । योग, अध्यात्म, तकनीकी, वाणिज्य, व्यापार आदि के क्षेत्र में हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व करता रहा है । इन सभी से प्रेरित होकर में इस ट्रस्ट का गठन करना चाहती हूँ । जिस ट्रस्ट का नाम **दी फीडस् ट्रस्ट (The Feeds Trust)** रखा है जिसका मुख्य कार्यालय 683, सैक्टर 1, रोहतक (हरियाणा) होगा ।

Rathee Vikas Sudesh Suman Navdeep

प्रलेख न:175 दिनांक:04-04-2025

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम TRUST

तहसील/सब-तहसील रोहतक

गांव/शहर रोहतक

धन सबंधी विवरण

राशि 5500 रुपये स्टाम्प ड्यूटी की राशि 100 रुपये

स्टाम्प नं : R0U2025C378 स्टाम्प की राशि 101 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50 रुपये EChallan:129740527 पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

Drafted By: sandeep advocate Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनाक 04-04-2025 दिन शुक्रवार समय 5:04:00 PM बजे श्री/श्रीमती /कुमारी RAJPAL RATHEE पुत्र HAZARI RAM निवास HNO 683 SECTOR 1 ROHTAK द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (रोहतक)
संयुक्त सब रजिस्ट्रार
रोहतक

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
RAJPAL RATHEE

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती /कुमारी THE FEEDS TRUST हाजिर है। प्रतुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया।दोनों पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती /कुमारीMUKESH LAMBARDAR पिता JAWHAR SINGH निवासी BOHAR व श्री/श्रीमती /कुमारी RAKESH पिता RAMESH CHAND निवासी ROHTAK ने की।

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार /अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

दिनांक 04-04-2025

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (रोहतक)
संयुक्त सब रजिस्ट्रार
रोहतक

ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य

ट्रस्ट का मोटो : "सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय" ।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, कला, ज्ञान-विज्ञान, समाजिक उत्थान एवं संविधान की सुरक्षा व सम्मान हेतु कार्य करते हुए उन्नत व सशक्त भारत का निर्माण करना है । हमारा देश पुनः हर क्षेत्र में समृद्धशाली हो, यहां का प्रत्येक देशवासी सुखी, सम्पन्न, स्वस्थ, निरोगी, आत्मनिर्भर, शिक्षित व देश भक्त हो इस भावना से इस ट्रस्ट का गठन किया गया है । समाज के सभी वर्गो, समुदायों व युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और हम सब योग, आसन, प्राणायम व प्राकृतिक जीवन पद्धति द्वारा सभी निरोगी होकर उज्जवल, अखण्ड व विकसित भारत का निर्माण करें, यह ट्रस्ट का आधारभूत उद्देश्य है । अतः हम अपने पूर्ण होशो-हवास से अपनी पूर्ण स्वेच्छा व प्रसन्नता से इस सेवा के लिए ट्रस्ट की स्थापना करते हैं और सभी ट्रस्टी मिलकर मुबलिग 5,500/- रूपये ट्रस्ट फण्ड में देते हैं ।

1. **ट्रस्ट का नाम**

यह कि ट्रस्ट को, **दी फीडस् ट्रस्ट (The Feeds Trust)** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा व इसका कार्यक्षेत्र समस्त भारत देश होगा ।

2. **"मुख्य कार्यालय"**

यह कि ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय **दी फीडस् ट्रस्ट (The Feeds Trust),** 683, सैक्टर 1, रोहतक (हरियाणा) होगा ।

3. **"ट्रस्ट की सम्पत्ति"**

यह कि हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त राशि मुबलिग 3,500/- रूपये (तीन हजार पांच सौ रूपये) का ट्रस्ट पूर्णतया स्वामी होगा । चल अचल सम्पति, नकद रूपया, सोना-चान्दी, आभूषण इत्यादि जो भी ट्रस्ट को किसी द्वारा दान दी गई और सरकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी जिसे समाज के कल्याण के लिये खर्च किया जा सकेगा ।

Rathee Vikas Sudesh. Suman Navdeep

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
175	2025-2026	1

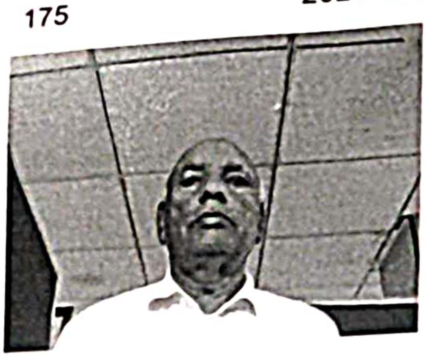

न्यासकर्ता

न्यासी

गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

न्यासकर्ता :- RAJPAL RATHEE

न्यासी :- THE FEEDS TRUST

गवाह 1 :- MUKESH LAMBARDAR

गवाह 2 :- RAKESH

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 175 आज दिनांक 04-04-2025 को बही नं 1 जिल्द नं 1 के पृष्ठ नं 43.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 7 के पृष्ठ संख्या 35 से 39 पर चिपकाई गयी | यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है |

दिनांक 04-04-2025

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी रोहतक

संयुक्त पंजीयन अधिकारी
रोहतक

4. <u>"ट्रस्ट के उद्देश्य"</u>

यह कि ट्रस्ट को, **दी फीडस् ट्रस्ट (The Feeds Trust)** के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रस्ट की कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, कार्यकारिणी के आजीवन सदस्यों, नये ट्रस्टी की सदस्यता शुल्क 500/- रूपये होगी । किसी ट्रस्टी की मृत्यु, त्यागपत्र/निष्कासन के पश्चात् ट्रस्टीयों की इच्छा से ही किसी अन्य को ट्रस्टी बनाया जा सकता है । ट्रस्ट की उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :-

1. आवारा और परित्यक्त पशुओं को बचाना, उनका पुर्नवास करना और उन्हें आश्रय प्रदान करना।
2. जागरूकता अभियान, शिक्षा और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग के माध्यम से पशु कल्याण को बढ़ावा देना।
3. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और अन्य लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. बचाव कार्यों और आवारा पशओं के देखभाल मे सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क स्थापित करना।
5. आवारा पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए पशु चिकित्सकों के साथ सहयोग करना।
6. उपयुक्त व्यक्तियों और परिवारों द्वारा आवारा और परित्यक्त पशुओं को गोद लेने की वकालत करना।
7. संकट मे फसे पशओं के लिए अस्थायी आश्रय और पालन गृह स्थापित करना।
8. सदस्यों, स्वयंसेवकों और आम जनता के लिए पशु देखभाल और कल्याण पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं प्रदान करना।
9. पशुओं की सुरक्षा और उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनों और नीतियों के पैरवी करना।
10. आवारा आबादी और नसबंदी की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक पशु पहचान और ट्रैकिंग प्रणाली बनाना।
11. स्कूलों और कॉलेजों के साथ मिलकर उनके पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों मे पशु कल्याण को शामिल करना।
12. सोसायटी की गतिविधियों और कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए धन उगाहने वाले कार्यक्रम और अभियान आयोजित करना।

Rathee Vikas Sudesh Suman Navdeep

13. पशु आपात स्थितियों और क्रूरता के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए 24/7 हेल्पलाईन स्थापित करना।

14. मुद्दों की रिपोर्टिंग, नसबंदी रिकार्ड को अपडेट करने और गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाईन पोर्टल बनाये रखना।

15. आवार पशुओं के साथ सह-अस्तित्व के बारे मे समुदायों को शिक्षित करके मानव पशु संघर्षो को कम करना।

16. पशुओं के साथ क्रूरता या नुकसान से जुड़े मामलों मे कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करना।

17. आवारा पशुओं के व्यवहार, स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिशीलता पर शोध परियोजनाएं शुरू करना।

18. प्रभावी आवार पशु प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए स्थानीय सरकारों और नगर पालिकाओं के साथ सांझेदारी करना।

19. विभिन्न उद्योंगों मे उपयोग किए जाने वाले पशुओं के नैतिक उपचार को सुनिश्चित करना और पशु परीक्षण के विकल्पों की वकालत करना।

20. पशुपालन और खेती मे पर्यावरण अनुकूल और मानवीय प्रथाओं को बढ़ावा देना।

21. पशु चिकित्सा सेवाओं, पशु आश्रयों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित संसाधनों का डेटाबेस बनाना।

22. आवार कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए उनका बंध्यीकरण और टीकाकरण करना।

<u>पर्यावरण संबंधी</u>

1. पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़-पौधे लगाना व इस हेतु लोगों को जागरूक करना।
2. वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमिं प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि की रोकथाम करना एवं लोगों को जागरूक करना ।
3. वातावरण शुद्धि के लिए प्रयास करना एवं लोगों को इस हेतु प्रेरित करना।
4. यज्ञ-हवन आदि द्वारा वातावरण शुद्धि के लिए प्रयास करना एवं लोगों में इस हेतु जागरूकता फैलाना ।

Rathee Vikas Sudesh Suman Navdeep

स्वास्थय संबंधी

1. लोगों के उत्तम स्वास्थय/बेहतर स्वास्थय के लिए कार्य करना ।
2. योग द्वारा संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आत्मिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना ।
3. आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं पुरातन भारतीय विज्ञान एवं आधुनिक क्रियाओं द्वारा जनमानस के संपूर्ण स्वास्थय के लिए कार्य करना ।
4. लोगों के मानसिक स्वास्थय हेतु आदि "Psychological Counselling" जैसी सेवाएं प्रदान करना ।
5. Mental Health, Stress, Anxiety, Depsression को दूर करने हेतु कार्य करना ।
6. जन सेवा के लिए चिकित्सा केंद्र खोलना व सस्ती दवाओं को इंतजाम करना जैसे Generic Medicines आदि ।
7. अपंग व्यक्तियों की सहायता करना व कृत्रिम अंग प्रदान करना ।
8. सभी प्रकार की चिकित्सा थैरेपी देकर जरूरतमंदों के लिए कार्य करना ।
9. Cerebral Palsy, Leprosy, Autism, Mentally Retarted आदि से ग्रसित रोगियों के बेहतर स्वास्थय के लिए कर्मठता से कार्य करना ।

सामाजिक कुरीतियों संबंधी

1. दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक इत्यादि सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु कार्य करना एवं लोगों को विभिन्न माध्यम से जागरूक करना ।
2. विधवा महिलाओं, विधुरों व नारी उत्थान के कार्य करना ।
3. रेप पीड़ित, एसिड अटैक सर्वाइवर, घरेलू हिंसा पीड़ित, यौन शोषण से पीड़ित जनों के पुर्नवास के लिए कार्य करना ।
4. Child Abuse के उन्मूलन व बच्चों के कल्याण व पुनर्वास हेतु कार्य करना ।

सुचना तकनीकी संबंधी

1. लोगों को आई.टी., कम्पयुटर आदि की आधुनिक शिक्षा देना व जागरूक करना।
2. लोगों का इन्टरनेट के माध्यम से सरकार की ओनलाईन सेवाओं के लिए जागरूक करना व ट्रस्ट की सभी सेवाओं को ओनलाईन प्रदान करना ।

Rathee Vikas Sudhish Suman Navdeep

सरकारी योजनाओं संबंधी

1. लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करना एवं इन योजनाओं के सफल क्रियान्वन में सरकार की मदद करना ।
2. सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाना व वंचित लोगों की सहायता करना ।

गरीब कल्याण संबंधी

1. गरीबों को कम्बल, शॉल, चद्दर, कपड़े, रोंटी, कपड़ा और शरण हेतु मदद क़रना।
2. गरीबों के लिए रोजगार व्यवस्था कर सहायता प्रदान करना ।
3. गरीब व बेसहारा महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना अथवा उसके लिए सरकार के समक्ष सुझाव एवं प्रस्ताव रखना ।
4. गरीब बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलवाना व Forced Labour की रोकथाम के लिए कदम उठाना ।
5. गरीबजनों की साक्षरता के लिए कार्य करना ।
6. गरीब कन्याओं के विवाह हेतु कार्य करना ।

कृषि संबंधी

1. **Sustainable Agriculture** एवं विषमुक्त कृषि को बढ़ावा देना व किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने मे मदद करना ।
2. **Organic** खाद, गाय के गोबर आदि से प्राकृतिक खेती करना ।
3. प्राकृतिक **Pesticide, Insecticide** द्वारा खेती करना व इसके लिए किसानों को प्रेरित करना ।
4. किसनों को स्वावलम्बन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायता करना ।

वृद्धजन कल्याण संबंधी

1. वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त मदद करना ।
2. बेसहारा वृद्धों के लिए रोटी, कपड़ा, शरण आदि में मदद करना ।
3. वयोवृद्धों के लिए पेंशन आदि सरकारी योजनाओं को दिलाने में उनकी सहायता करना ।
4. वृद्धजनों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना ।

Rathee Vikas Sudesh. Suman Navdeep

दान-परोपकार संबंधी

1. अमीर व्यक्ति जो जन सेवा का कार्य करना चाहते हैं, उनका मागदर्शन करना।
2. धनाड्य व्यक्तियों को जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित करना ।
3. भण्डारे, सत्संग, भजन, कीर्तन आदि जन-परोपकार के आयोजन करवाना।
4. दानी व्यक्तियों के लिए सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

धर्मार्थ कार्य

1. मानव धर्म के पालन के लिए जन-जागरण कार्यक्रम करना ।
2. जाति, धर्म, ऊंच-नीच से ऊपर उठकर **सर्वजन हिताय** के संकल्प हेतू कार्य करना।
3. लोगों में भाईचारे, सदभावना, प्रेम एवं सादगी के संस्कारों हेतु विभिन्न कार्यक्रम आदि का आयोजन करना ।
4. मानव-सेवा को ही परम धर्म स्थापित करने हेतु ऐसे ग्रंथ, पुस्तकों, साहित्य आदि का लेखन, प्रकाशन एवं वितरण करना ।
5. राष्ट्रधर्म, योगधर्म, सनातन वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करना ।
6. लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हेतु योग शिविरों का आयोजन करना ।
7. गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेदमंत्रों आदि का अनुष्ठान व योग-यज्ञ अनुष्ठान शिविरों का आयोजन करवाना ।
8. गौमाता की रक्षा करना, इसके पालन हेतु कार्य करना एवं पंचगव्य से उत्पादों का निर्माण करना ।

शिक्षा संबंधी

1. शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना ।
2. प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे (प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा) इसके लिए कार्य करना ।
3. शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी गुरूओं, विद्वानों व शिक्षाविदों को स्ममानित करना व उनका मार्गदर्शन लेना ।
4. बच्चों को मौलिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करवाना।
5. गरीब बच्चों को शिक्षा सामग्री, पुस्तकें, स्कूल बैग, स्कूल ड्रैस, आदि में सहायता करना ।

Rathee Vikas Sudesh Suman Navdeep

6. गरीब व पिछड़ा, अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वंचित व्यक्तियों को छात्रवृति एवं आर्थिक मदद प्रदान करना ।
7. सभी आयु वर्ग के लोगों को योग-शिक्षा मुहैया कराने हेतु प्रयास करना ।
8. यौन शिक्षा को युवाओं व टीनेजर्स तक पहुंचाना ।
9. भारतीय संस्कृति, वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना ।
10. जनकल्याण एवं शिक्षा संवर्धन हेतु गुरूकुल, विद्यालय, प्ले सकूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि की स्थापना करना ।
11. आमजन के विकास एवं स्वस्थवृत्त हेतु विभिन्न शोधकार्यो में सहयोग एव सक्रिय भूमिका निभाना ।
12. सात्विक आहार, डाईट, न्यूट्रीशनल डाईट के संबंध में शिक्षा प्रदान करना व जनजागरण करना ।

<u>सामाजिक उत्थान कार्य संबंधी</u>

1. समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करके प्रोत्साहित क़रना।
2. सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एवं हरिजनों के सम्मान की रक्षा हेतु कार्य करना।
3. नशा मुक्ति - दारू, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, ड्रग्स, अफीम, चरस आदि समस्त नशों से मुक्ति हेतु नशा मुक्ति अभियान चलाना व इससे ग्रस्त व्यक्तियों के Rehabilitation हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।
4. किन्नर समाज के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना व इसके लिए Sensitization Drive चलाना ।
5. सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना एवं जनजागरण का कार्य करना।

<u>उद्यम संबंधी</u>

1. Handloom, Handicrafts, Khaadi, लकड़ी व मिट्टी के उत्पाद आदि घरेलू उद्योगों द्वारा जन कल्याण का कार्य करना ।
2. MSME, कुटीर उद्योग द्वारा जनकल्याण करना ।

Rathee Vikas Sudesh Suman Navdeep

3. स्वदेशी वस्तुओं को प्रोमोट करना, निर्माण करना व इसके लिए जनजागरण कार्यक्रम चलाना ।
4. Rural Tourism, Sustainable Tourism को बढ़ावा देना ।
5. योग मैट, टी-शर्ट, योग उपकरणों का निर्माण करना ।
6. Make in India जैसी स्कीमों में सक्रिय भूमिका एवं स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करना ।
7. आयुर्वेदिक व आधुनिक औषिधयों का निर्माण करना ।

सुरक्षाकर्मी कल्याण संबंधी

1. देश की सेवा में अहर्निश कार्य कर रहे सैनिकों व उनके परिवारों के सम्मान हेतु कार्य करना ।
2. देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों के परिवारों के सम्मान व अधिकारों के लिए कार्य करना ।
3. भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की मदद हेतु प्रयास करना ।
4. पुलिस के जवानों, भूतपूर्व जवानों एवं शहीदों के सम्मान एवं उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना ।

युवा कल्याण संबंधी

1. देश के अधारस्तंभ युवा वर्ग के कल्याणार्थ कार्य करना ।
2. युवाओं के तर्कसंगत अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करना ।
3. युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने हेतु ट्रेनिंग देना एवं प्रोत्साहित करना ।
4. बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु हर संभव प्रयास करना एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से ऐसे युवाओं को जोड़ना।
5. तनाव, अवसाद व अन्य मानसिक परेशानियों से ग्रसित युवाओं के लिए Counselling कैम्प लगाना व उनकी सहायता करना ।
6. खेलों में उत्कृष्ट युवाओं को सम्मानित करना व उनके लिए आवश्यक सुविधाओं में सहायता करना ।
7. युवाओं को खेल, शिक्षा विज्ञान, वाणिज्य कला आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना ।
8. युवाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्य करना ।

Rathee Vikas Sudesh Suman Navdeep

स्वच्छता संबंधी

1. Waste Management में सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों की मदद करना।
2. कचरा-प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु प्रयास करना ।
3. स्वच्छ भारत समृद्ध भारत जैसी योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना ।
4. जन-सुविधाएं जैसे पब्लिक टॉयलेट, स्वच्छ पेयजल, सीटिंग एरिया, यात्रियों के लिए रेस्टरूम आदि कार्यों में सहायता करना व सक्रिय भूमिका निभाना ।
5. नदियों, नालों, समुद्र, जल श्रोतों व सड़क के किनारों इत्यादि से कचरा हटाकर उनकी सफाई करना व इस हेतु जागरूकता अभियान चलाना ।

आपदा सेवा संबंधी

1. प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, तूफान, चक्रवात, वन्य-आग, बाढ़ आदि में बचाव हेतु सक्रिय भूमिका निभाना व NDRF/SDRF की टीमों की सहायता करना ।
2. प्राकृतिक आपदा से ग्रसित इलाकों में लोगों की सहायता करना व उन तक राहत-सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करना ।
3. महामारी काल जैसे कोरोना आदि में सरकार की गाइडलांइस (दिशा-निर्देश) का पालन करते हुए लोगों की मदद करना एवं उन तक राहत-सामग्री पहुंचाना ।
4. किसी भी संकट/विपदा के समय में देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा हेतु संविधान का पालन करते हुए अग्रणी कार्य करना ।

अन्य उद्देश्य

1. चिकित्सा के प्रचार एवं प्रसार हेतु चिकित्सालय (हस्पताल) खोलना ।
2. सभी प्रकार की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी व सिद्धा व योग आदि सभी चिकित्सा पद्धतियों को प्रचार प्रसार करना व एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी व सिद्धा आदि अधिकतर गंभीर बीमारियों की सभी दवाईयों का बनाना व उनका प्रचार प्रसार करना ।
3. चिकित्सा के लिये रिसर्च सैन्टर हस्पताल के भवन का निर्माण करना व उसका सुचारू रूप से सुचालन करना ।

Rathee Vikas Sukesh Suman Navdeep

4. बीमार व असहाय रोगों के ईलाज के लिये औपधालय, हस्पताल इत्यादि स्थापित करना, उनका संचालन करना अथवा ऐसी किसी भी विद्यमान संस्था को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

5. चिकित्सा के क्षेत्र मे कैन्सर की दवाईयों पर अनुसंधान करना व अनुसंधानकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

6. गांव व दूर दराज के क्षेत्र मे जहां चिकित्सा उपलब्ध नही है वहां पर चिकित्सा के लिये कैम्प लगाना व रोगियों का ईलाज करना ।

7. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी व सिद्धा व योग विषयक पत्र-पत्रिकाओं, शोधपत्रों का प्रकाशन करना ।

8. बीमार व असहाय रोगियों के ईलाज व बच्चों को मुफत दवाईयों का वितरण करना ताकि दवाईयों के अभाव मे उनकी मृत्यु न हो । इसके लिये हस्पताल इत्यादि स्थापित करना उनका संचालन करना, क्षेत्र के ग्रामीण ईलाकों मे चिकित्सा कैम्प आयोजित करना, गरीब व असहाय रोगियों को दवाईयों का मुफत वितरण व गरीब व प्रतिभावान छात्र छात्राओं, व शोधकर्ताओं को पुरस्कृत करना जिसमे धर्म जाति, लिंग और रंग का कोई भेदभाव नही बरता जायेगा । ट्रस्ट बैंक या अन्य साधन से कर्ज लेकर ट्रस्ट के भवन व उत्थान के लिये खर्च करेगा ।

9. ऐसे अन्य सभी कार्य जिनका ऊपर वर्णन नही किया गया है और जो जन साधारण के कल्याण एवं लाभ के लिये हो ।

10. समाज की सेवा करना, गरीबों में आवश्यक वस्तुऐं वितरित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षण संस्थान खोलना, शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल करना व उचित प्रबन्ध करना । समाज से ऊँच व नीच, जाति-पाति, भेद-भाव को मिटाना ।

11. आधुनिक तकनीकी शिक्षा, विशेष शिक्षा, सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा को बढावा देना तथा पुनर्वास कार्यक्रम संचालित करना ।

12. छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा, कौशल विकास, सांस्कृतिक खेल कूद आदि की व्यवस्था करना ।

13. निर्धन, असहाय, वृद्ध, अनाथ विधवाओं, अपंग आदि की सहायता करना तथा उनके लिए आश्रम/विश्राम गृह आदि का निर्माण करना ।

Rathee Vikas Sudesh Suman Navdeep

14. मानव समाज में फैली हुई भ्रूण हत्या, नशा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, बाल विवाह आदि कुरीतियों को दूर करना।
15. भारतीयों में श्रेष्ठ नागरिकता, देशप्रेम, मानवता इत्यादि की भावना को जागृत करना, देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है ।
16. ऐसा कोई कार्य जिसका विवरण ऊपर नहीं दिया गया है और वह प्राणीमात्र के कल्याण तथा उत्थान के लिए उपयोगी व लाभप्रद हो तो उन कार्यो को भी ट्रस्टीगण बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके करना ।
17. डेरा, मन्दिर, गऊशाला व नंदीशाला खोलना व इनकी देखभाल करना ।
18. अपंग पशु-पक्षियों की देखभाल व ईलाज करना ।
19. मुफत दांत, आंख, नाक व संपूर्ण स्वास्थ जाँच करवाना व कैम्प लगवाना ।
20. जल के महत्व के बारे में जागरूक करना और जल का बचाना ।
21. बुजुर्गो की सेवा करना व वृद्धाश्रम खोलना ।
22. ब्लड डोनेशन कैम्प लगाना ।
23. मुफत कानूनी सहायता प्रदान करना ।
24. दुर्घटना में घायल पशु-पक्षियों व मनुष्यों की सहायता करना व घायलों को हस्पताल पहुंचाना ।
25. मुफत शिक्षा दिलाना ।
26. गरीब व अनाथ बच्चों को गोद लेना ।
27. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना ।
28. न्यूनतम शुल्क पर छात्रों के अध्ययन व आवास की व्यवस्था करना ।
29. न्यास द्वारा निर्मित किसी संस्था का नाम निश्चित करना या बदलना ।
30. किसी भी विशेष कार्यक्रम के लिये प्रबन्ध इत्यादि निर्धारण हेतु आम सभा का गठन किया जायेगा । किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये प्रधान आम सभा का गठन कर सकता है ।

5. <u>शर्तें :-</u>

1. कोई भी सदस्य या प्रधान ट्रस्ट की अचंल सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से विक्रय इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित करने का अधिकारी नहीं होगा ।

Rathee Vikas Sudish Suman Navdeep

इस समय मै निम्नलिखित व्यक्तियों को ट्रस्ट का प्रधान व अधिकारी व ट्रस्टी नियुक्त करता हूँ जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से ट्रस्टी व अधिकारी बनना मंजूर कर लिया है और उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिये है यानि अपनी सहमति दे दी है :-

1. विकास राठी सुपुत्र श्री राजपाल राठी
निवासी 15-16 यूजी-2, हरिहर अपार्टमेन्ट,
न्यू मंगला पुरी, गदईपुर, दिल्ली — प्रधान/मुख्य ट्रस्टी
2. राज पाल राठी सुपुत्र श्री हजारी राम
निवासी 683, सैक्टर 1, रोहतक — महासचिव/ट्रस्टी
3. सुदेश पत्नी श्री गुलाब सिंह
निवासी गांव गढ़वाली,
जिला जीन्द — कोषाध्यक्ष/ट्रस्टी
4. सुमन राठी पत्नी श्री विकास राठी
निवासी 15-16 यूजी-2, हरिहर अपार्टमेन्ट,
न्यू मंगला पुरी, गदईपुर, दिल्ली — ट्रस्टी
5. नवदीप सुपुत्र श्री गुलाब सिंह
निवासी 38, गढ़वाली जिला जीन्द — ट्रस्टी

6. <u>''बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग''</u>

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग वर्ष में कम से कम दो बार (छ:माही)अवश्य होगी। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग 6 मास के अन्दर आयोजित करनी होगी । और उनका कोरम ट्रस्ट के कुल सदस्यों का 3/5 भाग होगा । मीटिंग की अध्यक्षता ट्रस्ट का प्रधान करेगा और उसे मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने व स्थगित करने का अधिकार होगा। मीटिंग का हर निर्णय बहुमत से होगा। यदि किसी विषय में विवाद बनता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

Rathee Vikas Sudesh Suman Navdeep

7. **"ट्रस्टीगण के अधिकार व कर्तव्य"**

1. ट्रस्ट की धन राशि व आय को ट्रस्ट के उदेश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना व तन मन धन से समाज की सेवा करना ।
2. ट्रस्ट की चल अंचल सम्पति का प्रबन्ध करना और उसकी देख भाल, सुरक्षा, स्थायित्व व वृद्धि हेतु सभी कार्य एवं उपाय करना ।
3. ट्रस्ट की सम्पति से सम्बन्धित विभागों का निपटारा करना।
4. ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना और उसे संचालित करने के लिये प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य तथा उप-प्रधान व खजांची में से किसी एक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे तभी बैंक से राशि निकलवाई जा सकेगी ।
5. ट्रस्ट की जायदाद का निर्माण एवं मरम्मत कराना ।
6. ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के टैक्सो की अदायगी करना ।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं उन्नति के लिये धन राशि नकद या अचल संपत्ति के रूप में किसी व्यक्ति, ट्रस्ट या संस्था आदि से दान में लेना और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना व स्वीकार करना एवं व्यय करना ।
8. ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु समय-समय पर नियम, उप नियम व योजना बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, उन्हें रद्द करना ।
9. ट्रस्ट के उदेश्यों व नियमों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट के नाम से सम्पति खरीदना, किसी भवन का निर्माण करना उसमें सुधार करना, तबदीली करना ।
10. कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें निलम्बित करना व उनको हटाना, उनकी सर्विस के सम्बन्ध में नियम व उपनियम बनाना और उसमें संशोधन करना।
11. नये ट्रस्टी की नियुक्ति करना।
12. अनुशासन भंग नियम विरूद्ध आचरण/ अथवा ट्रस्ट को हानि पहुंचाने के दोषी ट्रस्टी को 3/5 बहुमत प्राप्त प्रस्ताव द्वारा पृथक (हटाना) करना, परन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव पर सभा में विचार किया जा सकेगा जो इसी कार्य के लिये बुलाई गई हो ट्रस्ट के प्रधान को किसी भी सदस्य की सदस्यता निरस्त करने का अधिकार होगा ।

Radhe Vikas Sudesh Suman Navdeep

8. <u>ट्रस्ट का हिसाब किताब रखना ।</u>

1. ट्रस्टीगण कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15), 11,12, 12-ए, 13,35 व 80 जी आदि की अवहेलना करता हो ।
2. कोई भी अन्य कार्य इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हो और जो इण्डियन ट्रस्ट एक्ट की किसी धारा का उल्लंघन ना करता हो को सम्पन्न करना ।
3. सामाजिक कार्यकर्ताओं, पुनर्वास कार्यकर्ता, विद्वानों, सैनिकों, गायक, नृतक, खिलाड़ियों को पुरस्कृत करना ।
4. किसी भी प्रकार के नियम में परिवर्तन का अधिकार कार्यकारिणी को होगा ।

9. <u>ट्रस्टीगण की संख्या व योग्यता</u>

इस ट्रस्ट में कम से कम 5 व अधिक से अधिक 251 ट्रस्टीज होंगे। वर्तमान ट्रस्टीज का विवरण ऊपर दिया गया है । शेष ट्रस्टीज की नियुक्ति 3/5 ट्रस्टीज की सहमति से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में की जा सकती है।

10. <u>''प्रधान के अधिकार व कर्तव्य''</u>

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये धन खर्च करना ।
2. ट्रस्ट की मीटिंग बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, उसको सुचारू रूप से चलाना। किसी भी सदस्य को सभा की कार्यवाही के अनुशासन को भंग करने पर अथवा किसी सदस्य अथवा सभा के विरोध में अपशब्द बोलने पर उसको सभा से निलम्बित करना ।
3. प्रधान की आज्ञा से बोले गए शब्द व प्रस्ताव की कार्यवाही और मीटिंग की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होगी ।
4. किसी भी कठिन या आकस्मिक कार्य के आने पर तत्काल उपयुक्त प्रबन्ध करना।
5. बोर्ड के प्रत्येक कार्य में रूचि लेकर बोर्ड द्वारा पारित उद्देश्य को पूरा करना।
6. न्यास के नाम से किसी बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलना । उसे आप्रेट करने का अधिकार प्रधान, सचिव, खजांची में से प्रधान के हस्ताक्षर अनिवार्य व सचिव, खजांची में से किसी एक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे।

Suresh Suman Navdeep
Rathe Vikas

7. न्यासाध्यक्ष/प्रधान को यह अधिकार है कि यदि कोई ऐसा झगड़ा ट्रस्ट या न्यास के सदस्यों में हो जाये जिसके परिणामस्वरूप संस्था के टूटने की संभावना हो तो वह न्यास को भंग कर देवे और संस्था की रक्षा के लिये सम्पूर्ण प्रबन्ध अपने हाथ में लेवे तथा सभी नये सदस्यों का चुनाव पुनः कर लेवे ।

8. अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक होगा कि साधारण सभा के सदस्यों में से किसी कार्य विशेष को सम्पन्न करने के लिये ट्रस्ट की प्रगति का निरीक्षण करने के लिये आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने आदि कार्यों के लिये उप समितियों का गठन करे जो यथावश्यकता अध्यक्ष को अपने अमूल्य सुझाव तथा क्रियात्मक सहयोग दिया करेंगी ।

9. कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति से ही विचारणीय हो सकता है । किसी पद या पदाधिकारी का निश्चय या अन्य किसी विषय के निश्चय में मतदान या वोट की विधि नहीं अपनायी जायेगी । सभी बातें आम सहमति या सर्वसम्मति से निश्चित की जायेगी, ऐसा न होने पर अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

11. <u>''महा-सचिव के अधिकार व कर्तव्य''</u>

1. ट्रस्ट के हर प्रकार के रिकार्ड को सुरक्षित रखना, बोर्ड की कार्यवाही वैधानिक ढंग से लिखना तथा अन्य लिखाई पढ़ाई तथा पत्र-व्यवहार आदि सभी प्रकार के कार्य करना व वार्षिक रिपोर्ट कोषाध्यक्ष से प्राप्त कर बोर्ड की मीटिंग में प्रस्तुत करना और स्वीकृति लेना ।
2. मीटिंग के कार्यक्रम बनाना व ट्रस्ट के सदस्यों को नियमानुसार बैठक की सूचना देना ।
3. बोर्ड द्वारा पास किये गये प्रस्तावों को निश्चित अवधि में सुचारू रूप से कार्यान्वित करना तथा करवाना ।
4. बैंक खाते प्रधान या अन्य किसी पदाधिकारी कोषाध्यक्ष (प्रधान की अनुपस्थिती में) के साथ मिल कर ओपरेट करना ।
5. ट्रस्ट के नाम से या ट्रस्ट के विरूद्ध होने वाले मुकदमों की पैरवी व जवाब देही करना, वकील मुकरर करना राजी नामा करना ।

Kathuria Vikas Sudish Suman Navdeep

12. **''कोषाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार''**

1. ट्रस्ट की आय का पूरा ब्यौरा रखना ।
2. पारित बिलों का भुगतान करना ।
3. ट्रस्ट का धन केवल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की स्वीकृति के बाद व्यय करना।
4. वार्षिक आय-व्यय का पूर्ण व विस्तृत ब्यौरा तैयार करना व सचिव को देना
5. आगामी वर्ष के लिये प्रधान व सचिव से परामर्श कर अनुमानित बजट तैयार करना।

13. **पदाधिकायों का कार्य और चुनाव विधि :**

पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । तीन वर्ष बाद चुनाव द्वारा नये पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी तथा ट्रस्टीगण अपने में से ही बहुमत द्वारा उनका चुनाव करेंगे ।

यदि पदाधिकारियों में से किसी कारणवश कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो शेष पदाधिकारियों में से शेष काल के लिये रिक्त स्थान की पूर्ति सर्वसम्मति से की जायेगी ।

कार्यकारिणी के भंग होने या समय समाप्त होने पर संयोजक द्वारा एक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जायेगा और उसी के नेतृत्व में पदाधिकारियों का चुनाव होगा ।

14. **ट्रस्ट का लेखा जोखा**

क. ट्रस्ट के आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखा जायेगा और इसका वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से आगामी 31 मार्च होगा । प्रथम वर्ष जिस दिन से यह न्यास पत्र लागू होगा उस दिन से ही आरम्भ माना जायेगा ।

ख. ट्रस्टीगण ट्रस्ट की धनराशि में से 50,000/- रूपये तक की राशि अपने पास रख सकेंगे तथा बाकी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक जिसमें ट्रस्ट का खाता होगा उसमें जमा करा देंगे । यह कि हमने इस आशा एवं विश्वास के साथ इस ट्रस्ट की स्थापना की है कि सभी ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पूरी इमानदारी, निष्ठा एवं लगन से कार्य करेंगे और जनसेवा करके अपने जीवन को

Rathu Vikas Sudesh Suman Navdeep

सफल बनायेंगे ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियमावली सर्वसम्मति से बनाई गई है जो **दी फीडस् ट्रस्ट (The Feeds Trust)** के नाम की आमसभा में दिनांक /03/2025 को पारित की गई है सभी ट्रस्टीयों ने सुन व समझ कर स्वीकार कर ली है।

1. विकास राठी सुपुत्र श्री राजपाल राठी
निवासी 15-16 यूजी-2, हरिहर अपार्टमेन्ट,
न्यू मंगला पुरी, गदईपुर, दिल्ली
Vikas
प्रधान/मुख्य ट्रस्टी

2. राज पाल राठी सुपुत्र श्री हजारी राम
निवासी 683, सैक्टर 1, रोहतक
Rathee
महासचिव/ट्रस्टी

3. सुदेश पत्नी श्री गुलाब सिंह
निवासी गांव गढ़वाली,
जिला जीन्द
Sudesh
कोषाध्यक्ष/ट्रस्टी

4. सुमन राठी पत्नी श्री विकास राठी
निवासी 15-16 यूजी-2, हरिहर अपार्टमेन्ट,
न्यू मंगला पुरी, गदईपुर, दिल्ली
Suman
ट्रस्टी

5. नवदीप सुपुत्र श्री गुलाब सिंह
निवासी 38, गढ़वाली जिला जीन्द
Navdeep
ट्रस्टी

गवाह 1.
Rinkal
Rinkal S/o Sh. Rajesh
VPO Farmana Khas
Teh Meham Distt Rohtak
124112

गवाह 2.
Rakesh Kumar
RAKESH KUMAR
S/o Sh. Ramesh Chand
Prem Nagar
Rohtak, 124001

SARDEEP (BA, LLB) ADVOCATE
Enrl. No. D/8 43/2023
1421/20, Chotu Ram Chowk, Rohtak
Sandeep